"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 558] रायपुर, बुधवार, दिनांक 16 दिसम्बर 2015 — अग्रहायण 25, शक 1937

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
दाऊ कल्याण सिंह भवन (पुराना मंत्रालय) के समीप, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 दिसम्बर 2015

संशोधन आदेश

अतिरिक्त निर्वाचन प्रतीकों का निर्धारण

क्रमांक एफ-58-33/तीन (दो)/न.पा./प्रतीक/2015/3311. — आयोग द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ-12/1526/रा.नि.आ./न.पा./प्रतीक/09 दिनांक 15 अक्टूबर 2009 को नगरपालिकाओं के महापौर पद के निर्वाचन के लिए भाग-एक में विहित निर्वाचन प्रतीकों की अनुसूची में क्रमांक-34 पर मेज निर्वाचन प्रतीक का उल्लेख है. इसी प्रकार से भाग-दो पार्षद के लिये विहित निर्वाचन प्रतीकों की अनुसूची में क्रमांक-12 पर नाव, क्रमांक-23 पर हाकी और गेंद एवं क्रमांक-26 पर फलों सहित नारियल का पेड़ निर्वाचन प्रतीक का उल्लेख है. अत: आयोग महापौर/अध्यक्ष हेतु विहित उक्त निर्वाचन प्रतीक की अनुसूची, आदेश क्रमांक एफ-58-33/तीन (दो)/न.पा./प्रतीक/2015/3302 रायपुर दिनांक 15-12-2015 द्वारा नगरपालिक निगम भिलाई के महापौर पद के लिए यथा परिवर्द्धित, में क्रमांक 43 फलों सहित नारियल का पेड़, क्रमांक 56 हाकी और गेंद, क्रमांक 58 मेज एवं क्रमांक 60 नाव निर्वाचन प्रतीक को विलोपित किया जाता है.

हस्ता./-
(एस. के. तिवारी)
उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015.